



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 23.03.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा भारत देश के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले

01 व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 22.03.2025 को थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस को एक्स-कॉम पर वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक व्यक्ति भारत देश (भारत माता) के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हुये व इशारे करता हुआ दिख रहा है जिसका संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर 01 व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

1-अली शेख पुत्र रियाजुद्दीन निवासी म0न0-04 गली न0-04 इस्लामनगर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

पूछताछ अभियुक्त

पुलिस अभिरक्षा में बैठे व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो बताया कि वीडियो बनाते समय मेरे द्वारा भारत माता के लिये आपत्ति जनक इशारे व भाषा का प्रयोग किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के गैंगस्टर के अभियोग में फरार एवं 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनांक-22/03/2025 को थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के गैंगस्टर के अभियोग में फरार शातिर अभियुक्त जावेद सैफी को थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्त्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। अभियुक्त जावेद उक्त गैंगस्टर के अभियोग में लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त नगर जोन गाजियाबाद द्वारा दिनांक-11/03/2025 को रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त जावेद ने बताया कि वह 5वीं तक पढा है। उसके पिता नशे के आदि थे, जो नशे में रहकर परिवार के सदस्यों से मारपीट करते थे और घर में खर्चा भी नहीं देते थे। इसी कारण जब जावेद 10-12 वर्ष का था तो जावेद की माता ने उसे उसकी मौसी के पास अपरकोट बुलन्दशहर भेज दिया। मौसी के लडकों के साथ उसने खराद मशीन पर खराद का काम सीखा और वहीं खरादी का काम करने लगा। उसके मौसी के लडके शाह फहद का मिलना जुलना ऐसे लोगो से हो गया जो अवैध असलहे बनाते थे। जावेद ने भी उनके साथ खराद मशीन पर अवैध असलहा बनाना सीख लिया। शाह फहद ने अपना अवैध शस्त्रों को बनाने व उसकी सप्लाई करने का

एक संगठित गिरोह बना लिया साथ गाजियाबाद में फैक्ट्री एरिया मोरटा में मशीनरियों के पार्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री लगा ली। उस फैक्ट्री के अन्दर ही अवैध शस्त्र बनाने का भी काम करने लगे। उस शस्त्र फैक्ट्री में जावेद खराद मशीन पर पिस्टल व तमंचे तैयार करता था जिन्हे बेच कर इस गिरोह के लोग काफी पैसे कमाते थे। इनका अवैध शस्त्र बनाने व बेचने का एक संगठित गिरोह है। दिनांक-25/07/23 को जावेद अपने साथियों शाह फहद, सादिक व शिवम के साथ अवैध शस्त्र फैक्ट्री से ही गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से बनी व अधबनी काफी मात्रा में पिस्टल, तमंचे व कारतूस व अन्य उपकरण तथा असलहो को बेचने से प्राप्त 1 लाख 58 हजार रुपये बरामद हुए थे।

जावेद व उसके साथियों का एक संगठित अपराधिक गिरोह है, इस गिरोह के द्वारा अवैध फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने जैसा संगीन अपराध कारित किया जाता था उन अवैध शस्त्रों को बेचकर ये लोग आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे और उन पैसे से अपने खर्चे व शौक पूरे करते थे। इस गिरोह के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत था जिसमें जावेद उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जावेद पुत्र सलीम सैफी निवासी म0न0- 57 मयूर विहार डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त जावेद के विरुद्ध गाजियाबाद में 02 अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

अभियुक्त पूर्व से मु0अ0सं0 - 46/25 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का वांछित एवं रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 12.03.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 11.03.2025 को वादी का टैन्ट का सामान भगौने, टव, परात, मशीन का स्टैंड त्यागी फार्म हाऊस गढी कुम्हैडा रोड पर शादी प्रोग्राम के लिए रखा हुआ था वही पर वेटर का काम करने वाले फैजल पुत्र इजाजु निवासी नूरगली पानी की टंकी के पास मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद व मोहिन पुत्र खुर्शैद निवासी सहविस्वा थाना मुरादनगर गाजियाबाद ने उपरोक्त सामान चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा-305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. फैजल पुत्र इजाजु निवासी नूरगली पानी की टंकी के पास मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. मोहिन पुत्र खुर्शैद निवासी सहविस्वा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके कब्जे से चोरी किये गये 11 अदद भगौने,

08 अदद परात व 03 अदद टब व एक काफी मशीन का स्टैंड बरामद हुए थे, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी।

आज दिनांक 23.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित एक अन्य अभियुक्त सरफराज पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ईदगाह बस्ती मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को धैदा पुल के नीचे रेलवे लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदाही से चोरी के 02 भगौना बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब त्यागी फार्म हाउस से जो भगौने/बर्तन को मोहिन व फैजल ने चोरी किये थे। उसमें से कुछ चोरी के माल को सस्ते दामो के लालच में आकर मैंने खरीद लिया था जिसमें से दो बड़े भगौने मैंने छुपा रखे थे जिन्हे मैंने आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सरफराज पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ईदगाह बस्ती मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना मुरादनगर पर चोरी/बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 02 अदद भगौने बरामद।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 19 जुआरी/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18140/- रुपये, 52 ताश के पत्ते, एक बैनर, दो चिड्डी चार्ट बरामद।

दिनांक 23-3-25 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा सिहानी गांव के अन्दर खुले मैदान के पास से मुखबिर की सूचना पर 19 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 18140/- रुपये, 52 ताश के पत्ते, एक बैनर, दो चिड्डी चार्ट बरामद, अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. पप्पु उर्फ प्रेम सिंह पुत्र कालीचरण निवासी सुभाषनगर घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-50 वर्ष
2. रमेश चन्द्र उर्फ उमेश पुत्र समयीराम निवासी जय डेरी के पास घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-55
3. फूल सिंह पुत्र श्योराज निवासी सेट्टल बैंक के पास सिहानी गांव थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 60 वर्ष
4. रिकु पुत्र चन्द्रपाल निवासी सिहानी जिला सहकारी बैंक के पास विश्वास नगर थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-36 वर्ष
5. अर्जुन पुत्र देशराज सिंह निवासी सुभाष नगर घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-25 वर्ष
6. सन्नी पुत्र महाराज सिंह निवासी गली नं0-3 सुभाष नगर घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-35 वर्ष
7. रविन्द्र पुत्र दीवान सिंह निवासी जय डेरी के पास घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-40 वर्ष
8. माधव सिंह पुत्र शारदा सिंह निवासी हिजडे वाली गली गड्डा के पास थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 60 वर्ष
9. नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम निवासी सेवानगर थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
10. सोनू पुत्र रोशनलाल निवासी म0न0-244 गली नं0-6 घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-45 वर्ष

11. किशन पुत्र बाली निवासी सेन्ट्रल बैंक के पास सिहानी गांव थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-29 वर्ष
12. मिन्टू पुत्र कृष्णपाल निवासी जय डेरी के पास गली नं0-7 घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-37 वर्ष
13. नितिन पुत्र उमेश कुमार निवासी टैम्पो स्टैण्ड घूकना के पास घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-25 वर्ष
14. पवन पुत्र थान सिंह निवासी हरवंस नगर मास्टर कालोनी थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-35 वर्ष
15. सोनू पुत्र अतर सिंह निवासी टैम्पो स्टैण्ड घूकना मोड घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-32
16. राहुल पुत्र धर्मपाल निवासी म0न0-105 भट्टा रोड घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-18 वर्ष
17. सतीश पुत्र जयप्रकाश निवासी फिशलगढी आकाश नगर थाना मसूरी उम्र 38 वर्ष
18. जयबहादुर पुत्र वीर बहादुर निवासी गली नं0-4 घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-57 वर्ष
19. राजू पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी गली नं0 9 भूपेन्द्र स्कूल के पास घूकना थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 53 वर्ष

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग पैसे डबल करने के लिए लालच में आकर आपस में हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हैं।

बरामदगी का विवरण-

18140/- रुपये, 52 ताश के पत्ते, एक बैनर, दो चिड़ड़ी चार्ट।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

स्वॉट टीम, सर्विलास टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 15000/- रुपये का इनामिया वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 23.03.2025 को स्वॉट टीम, सर्विलास टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 15000/- रुपये का इनामिया वाँछित अभियुक्त राजन जोशी पुत्र मुकेश कुमार निवासी म0नं0 290 गली नं0 4 बेहटा नियर न्यू मिलन पब्लिक स्कूल थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को अट्टला चुंगी बाके विहारी रेस्टोरेन्ट के पास जनपद मथुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजन जोशी के विरुद्ध धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राजन जोशी पुत्र मुकेश कुमार से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त राजन जोशी अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर चोरी व लूट जैसी घटनाओं को कारित करके अवैध रूप से धन अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजन जोशी पुत्र मुकेश कुमार निवासी म0नं0 290 गली नं0 4 बेहटा नियर न्यू मिलन पब्लिक स्कूल थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त राजन जोशी के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर गैंगस्ट एक्ट व चोरी के 02 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान होटल क्लासिक रेजिडेन्सी नियर शहीदनगर मैट्रो स्टेशन थाना साहिबाबाद क्षेत्र में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 05 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मिलित 02 मैनेजर, 04 ब्रोकर व 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 3560/-रुपये नगद व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 22.03.2025 को साहिबाबाद पुलिस साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि होटल क्लासिक रेजिडेन्सी नियर शहीदनगर मैट्रो स्टेशन थाना साहिबाबाद क्षेत्र में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। जिसमें भोली भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए साहयक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा होटल क्लासिक रेजिडेन्सी नियर शहीदनगर मैट्रो स्टेशन में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 05 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मिलित 02 मैनेजर 1. रामचन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्रामा खालिसपुर थाना नौनैहरा जिला गाजीपुर हाल पता मैनेजर क्लासिक रेजिडेन्सी शहीदनगर गाजियाबाद, 2. राजू यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम जीवपुर थाना जमनिया जिला गाजिपुर हाल पता क्लासिक रेजिडेन्सी शहीदनगर गाजियाबाद, 04 ब्रोकर 1. संजय गुप्ता पुत्र गौरखनाथ निवासी गली न0 11 म0न0 374 लक्ष्मीनगर थाना सकरपुर दिल्ली 2. मसारिफ पुत्र मौ0 कामिल निवासी दिलशाद कालोनी कार पार्किंग के पास दिल्ली मूल पता ग्राम रूकमुद्दीन सराय थाना कोतवाली सम्भल जिला सम्भल, 3. अजय पुत्र राजू यादव निवासी डी 1/791 गली न0 7 अशोकनगर शाहदरा दिल्ली, 4. फिरासत पुत्र सफात निवासी म0न01017 रूकन्दी सराय थाना नखासा जिला सम्भल हाल पता डी 52 दिलशाद कालोनी थाना सीमापुरी दिल्ली व 06 अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र वेद प्रकाश निवासी मकान नं0 4869 गली नं0 4 दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली, 2. अमन पुत्र देवेन्द्र बंसल निवासी म0नं0 114ए ब्लॉक बी दिलशाद गार्डन दिल्ली, 3. तुषार पुत्र जी0आर0 कालरा निवासी सी 120 यूजीएफ 2 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद, 4. ताजुद्दीन पुत्र खैराती निवासी ई 59/ए 34 कालिन्दर कालोनी दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली 05. राजू पाल पुत्र प्रभू नाथ निवासी ग्राम मुनारपती थाना रघुनाथपुर जिला सिवान बिहार हाल पता गली नं0 8 म0नं0 103 सरपंच बडा मंडोली दिल्ली, 06. टिन्कू कुमार पुत्र राजे सिंह नि0 मौन्दरापुर थाना चांदपुर जिला बिजनौर हाल पता दिलशाद कालोनी थाना सीमापुरी दिल्ली को होटल क्लासिक रेजिडेन्सी नियर शहीदनगर मैट्रो स्टेशन थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। होटल क्लासिक रेजिडेन्सी के मालिक जितेन्द्र कुमार महेश्वरी की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण रामचन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव तथा राजू यादव पुत्र हरिहर यादव तथा ब्रोकर संजय गुप्ता पुत्र गौरखनाथ , मसारिफ पुत्र मौ0 कामिल, अजय पुत्र राजू यादव, फिरासत पुत्र सफात से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि होटल क्लासिक रेजिडेन्सी जितेन्द्र कुमार महेश्वरी निवासी दिल्ली 99 सोसायटी थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद का है। होटल मालिक जितेन्द्र कुमार महेश्वरी द्वारा होटल के कमरों में पैसे लेकर देह व्यापार कराया जाता है। मैनेजर व ब्रोकर होटल मालिक के कहने पर ग्राहको के लिए होटल में देह व्यापार हेतु महिलाओ की व्यवस्था करके लाते है तथा मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहको को फोटो भेजकर होटल का पता देकर बुलाते है। जिनसे होने वाली कमाई में होटल मालिक द्वारा कमिशन दिया जाता है। गहनता से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि होटल मालिक जितेन्द्र महेश्वरी प्रतिदिन की कुल कमाई (30 से 35 हजार रूपये) में से अपने 9,000/- रूपये निकाल कर होटल में मौजूद मैनेजर व ब्रोकर सहित आपस में बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1. रामचन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्रामा खालिसपुर थाना नौनैहरा जिला गाजीपुर हाल पता क्लासिक रेजिडेन्सी शहीदनगर गाजियाबाद(मैनेजर),
2. राजू यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम जीवपुर थाना जमनिया जिला गाजिपुर हाल पता क्लासिक रेजीडेन्सी शहीदनगर गाजियाबाद(मैनेजर),
3. संजय गुप्ता पुत्र गौरखनाथ निवासी गली न0 11 म0न0 374 लक्ष्मीनगर थाना सकरपुर दिल्ली(ब्रोकर),
4. मसारिफ पुत्र मौ0 कामिल निवासी दिलशाद कालोनी कार पार्किंग के पास दिल्ली मूल पता ग्राम रूकमुद्दीन सराय थाना कोतवाली सम्भल जिला सम्भल (ब्रोकर) ,
5. अजय पुत्र राजू यादव निवासी डी 1/791 गली न0 7 अशोकनगर शाहदरा दिल्ली (ब्रोकर) ,
6. फिरासत पुत्र सफात निवासी म0न01017 रूकन्दी सराय थाना नखासा जिला सम्भल हाल पता डी 52 दिलशाद कालोनी थाना सीमापुरी दिल्ली(ब्रोकर)
7. राहुल पुत्र वेद प्रकाश निवासी मकान नं0 4869 गली नं0 4 दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली,
8. अमन पुत्र देवेन्द्र बंसल निवासी म0नं0 114ए ब्लॉक बी दिलशाद गार्डन दिल्ली,
9. तुषार पुत्र जी0आर0 कालरा निवासी सी 120 यूजीएफ 2 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद,
10. ताजुद्दीन पुत्र खैराती निवासी ई 59/ए 34 कालिन्दर कालोनी दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली
11. राजू पाल पुत्र प्रभू नाथ निवासी ग्राम मुनारपती थाना रघुनाथपुर जिला सिवान बिहार हाल पता गली नं0 8 म0नं0 103 सरपंच बडा मंडोली दिल्ली,
12. टिन्कू कुमार पुत्र राजे सिंह नि0 मौन्दरापुर थाना चांदपुर जिला बिजनौर हाल पता दिलशाद कालोनी थाना सीमापुरी दिल्ली।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से देशी शराब के 100 पच्चा हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 22.03.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. राकेश राजन पुत्र उदय प्रताप निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी उम्र करीब 23 वर्ष, 2. अरबाज पुत्र मैसर निवासी जयपाल चौक ईदगाह के पास शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को देशी शराब के 100 पच्चा हरियाणा मार्का सहित अग्रवाल स्वीट के पास गन्दे नाले के सर्विस रोड पर शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त राकेश तथा अरबाज के विरुद्ध धारा 60(1),63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क / आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राकेश तथा अरबाज से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तगण हरियाणा से देशी शराब के पच्चा सस्ते दामों में खरीद कर लाते है और अधिक दामों में नशे करने वाले लोगों को बेच देते है । इस प्रकार ये दोनों अभियुक्तगण जो मुनाफा मिलाता है । उसे आपस में बांट लेते है । दोनों अभियुक्तगण से बरामद हरियाणा मार्का के देशी शराब के 100 पच्चे इन्ही के है । जिन्हे हरियाणा से खरीदकर लाये थे इन्हे बेचने की फिराक में अग्रवाल स्वीट के पास गन्दे नाले के सर्विस रोड पर घूम रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. राकेश राजन पुत्र उदय प्रताप निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी उम्र करीब 23 वर्ष ।
2. अरबाज पुत्र मैसर निवासी जयपाल चौक ईदगाह के पास शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

देशी शराब के 100 पच्चे हरियाणा मार्का बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण राकेश व अरबाज के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य अपराधिक इतिहास की जाकरारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।